नर्सरी-प्ले स्कूल और किंडर गार्डन आये महिला बाल विकास के राडार पर

विभाग के पोर्टल पर पंजीयन कराना जरूरी

जबलपुर, देशबन्धु। महिला बाल विकास विभाग द्वारा प्राइवेट क्षेत्र में पूर्व से संचालित एवं नवीन संचालित होने वाले शाला पूर्व शिक्षा केंद्रों अर्थात नर्सरी-प्ले स्कूल और किंडर गार्डन को विभागीय पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय ईसीसीई पॉलिसी 2013 एवं राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग के निर्देशानुसार प्राइवेट क्षेत्र में पूर्व से संचालित एवं नए संचालित होने वाले शाला पूर्व शिक्षा केंद्रों के नियमन एवं निगरानी के लिए यह निर्णय लिया गया है। इन शाला पूर्व शिक्षा केंद्रों की पंजीकरण की सुविधा 4 अगस्त 2020 से प्रारंभ की जा रही है। महिला बाल विकास विभाग के पोर्टल पर पूर्व से संचालित एवं नवीन संचालित होने वाले शाला पूर्व शिक्षा केंद्रों के लिए ऑनलाइन पंजीयन कराना आवश्यक होगा। बिना पंजीकरण के संचालित पाए जाने पर संबंधित शाला पूर्व शिक्षा केंद्र (नर्सरी स्कूल, प्ले स्कूल, किंडर गार्डन) पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि बाल अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ईसीसीई (प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा नीति) 2013 का निर्माण किया था। इस नीति में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शैक्षणिक आवश्यकताओं एवं इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए स्कूल पूर्व शिक्षा के महत्व पर जोर दिया गया है। भारत में शाला पूर्व शिक्षा सेवाएं शासकीय निजी एवं अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से प्रदाय की जा रही है। शासकीय क्षेत्र में शाला पूर्व शिक्षा सेवा का प्रदाय आंगनवाड़ी केंद्रों एवं अशासकीय क्षेत्रों में नर्सरी स्कूल, प्ले स्कूल, किंडर गार्डन जैसे नामों से संचालित शाला पूर्व शिक्षा केंद्रों के माध्यम से किया जा रहा है। वर्तमान में प्राइवेट क्षेत्र में संचालित प्ले स्कूल बिना किसी नियमन, मान्यता एवं पंजीकरण के संचालित हो रहे हैं जिससे इन शाला पूर्व शिक्षा केंद्रों में बाल अधिकारों के संरक्षण की सुनिश्चित्ता प्रभावित होती है। **4 अगस्त को वेबीनार**- महिला बाल विकास विभाग के पोर्टल पर शाला पूर्व शिक्षा केंद्रों के पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी वेबीनार 4 अगस्त को 3.00 बजे आयोजित होगा । इसमें विभागीय संभागीय संयुक्त संचालक, जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं निजी क्षेत्र के शाला पूर्व शिक्षा केंद्र संचालक सम्मिलित होंगे। ऑनलाइन वेबीनार में सम्मिलित होने से संबंधित लिंक विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध होगी।

3 अगस्त की प्रात: 5 समाप्त होगी विराम की अवधि

रविवार को भी अनलॉक-2 की छूट में रहेगा विराम

जबलपुर, देशबन्धु। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भरत यादव द्वारा जारी किये गये आदेश के मुताबिक कोरोना संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये रविवार 2 अगस्त को भी जिले में अनलॉक-2 के तहत दी गई छूट में विराम लागू रहेगा। विराम की अवधि 3 अगस्त सोमवार को प्रात: 5 बजे समाप्त होगी।

कलेक्टर भरत यादव ने कल शनिवार के दिन विराम को सफल बनाने में दिये गये योगदान के लिये नागरिकों के प्रति आभार जताया है। कलेक्टर ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे रविवार के दिन भी विराम को सफल बनायें। अनावश्यक घरों से बाहर न निकलें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहनें और साबुन से हाथ धोते रहें। कोरोना से सावधानी और सजगता ही बचाव का उपाय है।

जिला दण्डाधिकारी श्री यादव द्वारा जारी आदेश के मुताबिक विराम के दौरान जबलपुर जिले में अति आवश्यक वस्तुऐं यथा दूध, मेडीकल स्टोर, पेट्रोलपंप, गैस एजेंसी आदि की दूकानें खुलीं रहेंगी। इनके अतिरिक्त अन्य आवश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी की व्यवस्था यथावत रहेगी। जनरल स्टोर्स, फल, सब्जी आदि की दुकानें व निजी कार्यालय पूर्णत: बंद रहेंगे। दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का संचालन पूर्णत: बंद रहेगा। किन्तु विराम से अति आवश्यक सेवा वाले वाहन जैसे- नगर निगम, पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य, विद्युत, दूर संचार, नगर शासकीय, आपदा प्रबंधन, पेयजल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया आदि साथ ही इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से मुक्त रहेंगे। लेकिन ऐसे कर्मचारियों को अपने साथ परिचय पत्र (आईकार्ड) रखना अनिवार्य होगा। हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति में उपयोग किये जाने वाले निजी वाहनों को एवं ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन तक और

कलेक्टर द्वारा नागरिकों से विराम को सफल बनाने की अपील

रेलवे स्टेशन से गंतव्य तक पहुंचने वाले निजी वाहन, ऑटो, रिक्शा, टैक्सी को छूट रहेगी। यात्रियों की टिकट ही पास के रूप में मान्य रहेगी। लॉज, धर्मशाला के कर्मचारी अपने कार्य स्थल में कार्य करने हेतु इस विराम से मुक्त रहेंगे लेकिन कर्मचारियों को अपने साथ परिचय पत्र (आईकार्ड) रखना आवश्यक होगा। इसके साथ ही अति अतिआवश्यक सेवा में लगे हुये परिवहन (ट्रांसपोर्ट) इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। शेष सभी गैर आवश्यक (शराब दुकानों सहित) गतिविधियां विराम के दौरान पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगीं ।

आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

प्लाज्मा देने के इच्छुक व्यक्तियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिये मेडीकल में विशेष शिविर आज

जबलपुर, देशबन्धु। मेडिकल कॉलेज जबलपुर में कोविड-19 के गम्भीर मरीजों की जिंदगी बचाने प्लाज्मा थेरेपी प्रारंभ की जा रही है । इसके लिये सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसी सिलसिले में आज रविवार 2 अगस्त को कोरोना से स्वस्थ हो चुके ऐसे व्यक्तियों के लिये मेडिकल कॉलेज में विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है जो गंभीर मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए प्लाज्मा डोनेट करने के इच्छुक हैं। मेडिकल कॉलेज की मेडिसिन ओपीडी में रविवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक लगाये जाने वाले इस विशेष शिविर में प्लाज्मा डोनेट करने के इच्छुक व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जायेगा एवं यह देखा जायेगा कि उनका प्लाज्मा उपयुक्त है या नहीं। कलेक्टर भरत यादव ने कोरोना से स्वस्थ हो चुके ऐसे सभी व्यक्तियों से शिविर में उपस्थित होकर अपना स्वास्थ परीक्षण कराने का आग्रह किया है जो प्लाज्मा डोनेट करने के इच्छुक हैं। श्री यादव ने कोरोना से स्वस्थ हुये सभी लोगों से प्लाज्मा डोनेट कर गम्भीर रोगियों का जीवन बचाने में मददगार बनने का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि प्लाज्मा डोनेट करने के इच्छुक व्यक्ति प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक में डॉ शिशिर चनपुरिया अथवा ब्लड बैंक के सोशल वर्कर से सम्पर्क कर सकते हैं। इसके अलावा इस पवित्र कार्य के लिये जिला रेडक्रॉस सोसायटी के सचिव आशीष दीक्षित से भी सम्पर्क किया जा सकता है ।

प्रत्याभूत राशि में छूट मिल सकती है शराब ठेकेदारों को

आबकारी आयुक्त ने उपायुक्तों से जानकारी की तलब

जबलपुर, देशबन्धु। शहर के साथ समूचे प्रदेश के शराब ठेकेदारों को प्रत्याभूत राशि में छूट मिल सकती है। इस संबंध में प्रदेश के आबकारी आयुक्त ने प्रदेश के सभी आबकारी उपायुक्तो को पत्र प्रेषित कर जानकारी मांगी है। कोरोना महामारी के दौर में संक्रमण एवं फैलाव से बचाव हेतु मंदिर दुकानों का संचालन प्रतिबंधित किए जाने के फलस्वरूप न्यूनतम प्रत्याभूत की राशि (ड्यूटी) में छूट, क्षतिपूर्ति दिए जाने के संबंध में कुछ जिलों द्वारा संदर्भित पत्रों के अनुक्रम में प्रस्ताव आगामी कार्रवाई के लिए यह पत्र प्रेषित किया गया है। पत्र में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए इस प्रस्ताव का नियमों/सुसंगत प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करने मुख्यालय स्तर पर एक विभागीय समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण किए जाने पर यह पाया गया है कि अधिकांश प्रस्तावों पर नियमों/सुसंगत प्रावधानों संदर्भित पत्रों के परिप्रेक्ष्य में उपायुक्त आबकारी, संभागीय उपायुक्त आबकारी संभागीय स्तर पर विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी होकर संबंधित जिला समिति के सदस्य है तथा विभागीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में उनका अभिमत महत्वपूर्ण है। पत्र में अधिकारियों को आयुक्त ने निर्देशित किया है कि सभी अपने संभाग में संबंधित वर्ष 2019-20 की न्यूनतम प्रत्याभूति की राशि में छूट/क्षतिपूर्ति से संबंधित ऐसे समस्त प्रकरणों के परीक्षण के लिए एक चैकलिस्ट तैयार करें। चैकलिस्ट में सभी नियम, निर्देशों और प्रावधानों का समावेश हो। चैकलिस्ट के आधार पर प्रत्येक प्रकरण का पृथक-पृथक परीक्षण कर जिलावार प्रतिवेदन 3-4 दिनों में आयुक्त कार्यालय को अपने स्पष्ट अभिमत एवं अनुशंसा के साथ प्रेषित करने की बात कही गई है। पत्र में कहा गया है कि इससे ऐसे प्रकरणों का निराकरण यथाशीघ्र किया जा सकेगा। इस कार्य को प्राथमिकता पर किया जाना सुनिश्चित करने की बात भी पत्र में कही गई है।

पासपोर्ट बनाने का काम शुरू

अगस्त में नये अप्वाइनमेंट मिलना मुश्किल

जबलपुर, देशबन्धु। शहर में स्थित पीओपीएसके (डाकघर पासपोर्ट सेवा केन्द्र) में अगस्त माह में नए पासपोर्ट या पासपोर्ट रिन्यु कराने का अप्वाइनमेंट नहीं मिलेगें। कारण है अगस्त माह के सारे अप्वाइनमेंट फुल होने का। हालांकि मुख्य डाकघर स्थित पीओपीएसके में काम शुरू कर दिया गया है। पहले दिन 40 अप्वाइनमेंट लिए गए। सभी आवेदक निर्धारित समय पर पीओपीएसके पहुंचे और प्रक्रिया पूरी की।

इसलिए पूरे माह का कोटा फुल-पीओपीएसके में प्रतिदिन 80 अप्वाइनमेंट जारी किए जाते थे। लेकिन यह अप्वाइनमेंट लॉक डाउन के पहले थे। लॉक डाउन ओपन होने के बाद बुधवार से पीओपीएसके में फिर से पासपोर्ट बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन बुधवार से ही अप्वाइनमेंट की संख्या को आधा कर दिया गया। याने की अब प्रतिदिन 40 आवेदकों के लिए ही पासपोर्ट की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

इनकी संख्या ज्यादा- स्कूल-कॉलेज के छात्र, मल्टीनेशनल कम्पनी में नौकरी के लिए जाने की मंशा रखने वाले, विदेशों में छुट्टियां मनाने जाने वाले, धार्मिक स्थलों की यात्रा पर जाने वाले।

यह भी है एक बड़ा कारण

मार्च के आखिरी सप्ताह में लॉक डाउन हो गया। जबकि जानकारों की माने तो मार्च से लेकर जून तक पासपोर्ट बनवाने वालों की संख्या सामान्य दिनों की अपेक्षा बढ़ती है। कारण है लोगों की विदेश यात्रा या फिर पढ़ाई और नौकरी के लिए बाहर जाना। लेकिन लॉक डाउन के चलते पासपोर्ट कार्यालय बंद हुए और पासपोर्ट नहीं बन सके थे।

कोविड-19 संक्रमण : सब कुछ प्रशासन के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता

एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने से नहीं रुकेगा संक्रमण

जबलपुर, देशबन्धु। क्या शहर की स्वास्थ्य सेवायें लचर है। क्या कोरोना संक्रमण काल में एक सर्वसुविधा युक्त अस्थाई अस्पताल नहीं बनाई जानी चाहिए, जीवन रक्षक दवायें और उपकरण की व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए। यह अहम सवाल उठ रहे हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रांत प्रमुख योगेन्द्र सिंह (योगी) की कोरोना से मृत्यु के बाद अब यह सवाल खुद संघ से जुड़े लोग और भाजपा के लोग भी उठाने लगे है। दरअसल सरकार की उठा-पटक, मंत्रीमंडल के गठन और एकला चलो की नीति ने इस शहर की स्वास्थ्य सेवाओं को भगवान भरोसे कर दिया। सब कुछ प्रशासन के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, हम अपनी अर्कमण्यता और अदूरदर्शिता का ठीकरा प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों पर फोड़कर जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। मेडीकल कालेज और सुपर स्पेशयलिटि हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, पैरामेडीकल स्टॉफ के जज्बे को सलाम। मार्च से जुलाई तक इन पांच महीनों में घर, परिवार से दूर रहकर निश्चित तौर पर पीड़ित मानवता की सेवा इन्होंने की। लेकिन उनको सुविधाओं के नाम पर हमारे सिस्टम ने क्या दिया? डांट, डपट और तबादले, इतने दिशा-निर्देश मिले की स्वास्थ्य सेवा में लगा अमला भटकने लगा। हर आदमी 8 घंटे की नौकरी के बाद रिलेक्स चाहता है, लेकिन डॉक्टर और पैरामेडीकल स्टाफ ड्यूटी करते-करते थक गये। अब जाकर सरकार ने संविदा नियुक्ति के आदेश निकालें है, लेकिन संविदा नियुक्ति में दक्ष स्टॉफ नहीं मिल रहा। जिम्मेदार लोग अब तक सोते रहे। संक्रमण ने तेजी से पैर पसार लिये। डब्ल्यूएचओ से लेकर स्वास्थ्य विभाग यह कहते रहे कि कोरोना अपनी पीक पर होगा। इसके बावजूद हमारे सिस्टम में कोई चेतना नहीं जागी। प्रशासन का क्या है वह तो वही करेगा जितने निर्देश उसे मिलेंगे।

7 सौ बेड की क्षमता है सुखसागर में-जानकारों की मानें तो मेडीकल कालेज में जहां सुपर स्पेशएलिटि अस्पताल में अधिकतम 100 बेड की व्यवस्था है। वहीं दूसरी ओर सुखसागर कोविड सेंटर में 700 बेड की क्षमता है। लेकिन यहां स्वास्थ्य सुविधाओं और पैरामेडीकल स्टॉप और डॉक्टर की व्यवस्था के साथ-साथ वेटींलेटर की व्यवस्था करना शासन और प्रशासन का काम है। लेकिन इस दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं किये गये। स्टेट कोरोना प्रबंधन समिति, जिला आपदा प्रबंधन समिति, और शासन के बीच शुरुआती दौर में जो संवाद दिखा वो बाद में संवादहीनता में बदल गया। लिहाजा परिस्थितियां विपरीत होती चली गई। जबलपुर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 जुलाई तक 1369 पहुंच चुका है, वहीं बचे हुये एक्टिव केस 456 तथा सस्पेक्टेड व्यक्तियों की संख्या 1246 है और अब तक 29 मौतें हो चुकी हैं। इसके बावजूद सिस्टम की चेतना नहीं जाग रही।

निजी अस्पतालों पर लगता है लूट का आरोप-निजी अस्पतालें कोरोना संक्रमण काल में सहयोग देने के लिये तैयार हैं लेकिन उनपर लूट का आरोप लगता रहता है। इसीलिये वे पीछे भी हट रहे हैं। सरकार को चाहिए की किसी भी तरह से निजी अस्पतालों के डॉक्टरों का सहयोग लिया जायें, बड़ी अस्पतालें अधिगृहित कर उन्हें मरीजों के हिसाब से निश्चित फंड उपलब्ध कराया जायें। ताकि व्यवस्थायें चल सकें। **इस तरह दूर हो सकती है डॉक्टरों की कमी**-मेडीकल कालेज में इतना स्टाफ नहीं है कि लगातार 24 घंटे महीनों तक कोरोना संक्रमण से जूझा जा सके। लिहाजा प्रायवेट प्रेक्टिस करने वाले डॉक्टरों के साथ-साथ जीसीएफ, व्हीकल, मिलेट्री अस्पताल, रेलवे हॉस्पिटल, से कुछ स्टाफ स्पेशल कोरोना सेंटर के लिये हायर किया जा सकता है। सीजीएचएस डिस्पेसरी का स्टाफ भी कोरोना संक्रमण काल में अपनी सेवायें मेडीकल कालेज या अन्य कोविड सेंटर को दे सकते हैं, लेकिन इस दिशा में अब तक सोचा ही नहीं गया और न ही प्रयास किये गये।

आपदा प्रबंधन समिति सिर्फ नाम की-राज्य सरकार ने कोविड 19 से निपटने के लिये जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति बना दी, लेकिन ये समितियां सिर्फ नाम की है दो-तीन बैठकों के बाद इन समितियों की बैठक ही नहीं हुई। इन समितियों को सिर्फ सरकार को सलाह देने का अधिकार है। लेकिन सरकार ने इन समितियों की कितनी बात मानी यह भी बात गौर करने वाली हैं। सब एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने के अलावा कुछ नही कर रहे। जनप्रतिनिधियों में चाहें वे पक्ष के हो या विपक्ष के समन्वय का अभाव हैं यहीं वजह है कि व्यवस्थाओं को अपने हाल पर छोड़ दिया जायें। प्रशासानिक अमला अपनी सीमित क्षमता के साथ परिस्थितियों से जूझ रहा है।

बगैर मान्यता के चल रही वित्त कंपनी पर छापा

लोन देकर चार गुना वसूल रही थी फायनेंस कंपनी

जबलपुर, देशबन्धु। बरेला थाना क्षेत्र के तिलहरी क्षेत्र में चल रही फायनेंस कंपनी पर पुलिस ने छापा मारा यहां से पुलिस ने मैनेजर जतिन सराफ को गिरफ्तार किया है, यह कंपनी लोगों को लोन देकर चार गुना राशि वसूल करती रही, यहां तक कि कंपनी को शासन से मान्यता भी नहीं मिली है, बरेला पुलिस थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार कंपनी से जुड़े अन्य अधिकारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरु कर दी हैं।

पुलिस के अनुसार ग्राम जमुनिया बरेला निवासी गुड्डीबाई पति अशोक मरावी उम्र 40 वर्ष ने भारत फाईनेंसियल इंक्लुजन लिमिटेड कंपनी शाखा तिलहरी के मैनेजर जतिन पिता जगदीश सराफ उम्र 30 वर्ष निवासी पनागर से वर्ष 2019 में 52000 रुपए लोन लिया था, उक्त राशि देने के बाद चार गुना वसूली की जा चुकी है, इसके बाद भी और रुपयों की मांग की जा रही है, यहां तक कि जमा राशि की कोई रसीद तक नहीं दी, गुड्डीबाई व उनके पति को यह भी जानकारी दी कि कंपनी की मान्यता शासन ने वर्ष 2019 ने समाप्त कर दी है। पुलिस को दबिश में और भी जानकारी मिली है कि उन्होंने आसपास के लोगों को लोन देकर चार गुना वसूली की है. पुलिस को पूछताछ में आरोपी जतिन ने यह भी बताया कि अधिकारियों के आदेश पर वर्तमान में बैंकिंग कार्य अभी भी किए जा रहे है। पुलिस ने जतिन को हिरासत में लेकर अन्य अधिकारियों की तलाश शुरू कर दी है।

पेट्रोल-डीजल के बढ़े दाम के विरोध में जनजागरण चलाया

जबलपुर, देशबन्धु। सेठी पेट्रोल पंप मदनमहल पश्चिम विधानसभा पर पेट्रोल डीज़ल के बढ़े दाम के विरोध में जनजागरण चलाया और पेट्रोल भरा रहे लोगों से सवाल किया। क्या पेट्रोल-डीजल के रेट सही है। इसमें लगने टैक्स के बारे जानकारी तथा जनमानस की जानकारी साझा की। ग़रीब-मध्यम आम आदमी ने तुरंत इसे कम करने की मांग की। इस जनजागरण में मध्यप्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव विवेक अवस्थी, बलजीत सिंग, बरुन शर्मा, प्रिंस सलूजा, राजेश मिश्रा शामिल हुए।

ग्वारीघाट के 4 वर्षीय बालक के साथ जीसीएफ स्टेट निवासी 80 वर्षीय वृद्ध मिला कोरोना पॉजिटिव

39 संक्रमितों के क्षेत्र की रिपोर्ट मिली, शेष की जानकारी प्रतीक्षित

जबलपुर, देशबन्धु। शनिवार की शाम 6 बजे तक बीते चौबीस घंटों में पॉजिटिव मिले व्यक्तियों में से 39 की डिटेल्स प्राप्त हुई हैं। कोरोना संक्रमित इन व्यक्तियों में संजीवनी नगर गढ़ा निवासी 55 वर्ष की महिला, शक्तिनगर बदनपुर गढ़ा निवासी 45 वर्षीय पुरुष, कबूतर खाना निवाडग़ंज निवासी 50 का पुरुष, द्वारका नगर लालमाटी घमापुर निवासी 26 साल का युवक , भानतलैया चौधरी मोहल्ला निवासी 48 बर्षीय पुरुष, द्वारका नगर गोपाल होटल के पास रहने वाला 55 वर्षीय पुरुष, न्यू रामनगर निवासी 50 वर्षीय पुरुष, खटीक मोहल्ला सराफा वार्ड निवासी 75 साल का वृद्ध, जीसीएफ स्टेट नाथन चौक निवासी 80 साल का वृद्ध, व्हीएफजे कॉलोनी मड़ई निवासी 23 साल का युवक, भूमिया मोहल्ला बरेला 48 वर्षीय पुरूष, चिकनी कुआं गढ़ा निवासी 44 वर्ष की महिला, बनारसीदास भनोट वार्ड गोरखपुर निवासी 31 वर्षीय पुरुष, निरन्दपुर पनागर निवासी 45 वर्षीय पुरुष यहीं का निवासी 45 वर्ष का पुरुष, जय किराना स्टोर्स के पास न्यू कंचनपुर आधारताल निवासी 27 वर्ष का युवक, क्रिस्टल होटल के पीछे जॉनसन कम्पाउंड नर्मदा रोड निवासी 64 वर्ष का पुरुष, लालमाटी चुंगी चौक घमापुर निवासी 49 वर्षीय पुरूष, रामपुर दुर्गानगर निवासी 55 वर्षीय पुरुष, सेंट गेब्रियल स्कूल के पास चंदन कॉलोनी रांझी निवासी 60 साल की महिला, पुराना टाउन हॉल गांधी भवन बड़ी ओमती निवासी 40 साल की महिला, शिवमंदिर के पास नर्मदा नगर गोहलपुर निवासी 25 वर्ष का युवक, स्नेह नगर कमला नेहरू वार्ड निवासी 42 वर्षीय पुरुष, वंशकार मोहल्ला प्रेमसागर महर्षि अरविंद वार्ड निवासी 45 वर्षीय पुरुष, मालगुजार परिसर के पास नर्मदा नगर गोहलपुर निवासी 23 साल की युवती, वंशकार मोहल्ला प्रेमसागर महर्षि अरविंद वार्ड निवासी 30 वर्ष की महिला, पंजाब बैंक कॉलोनी चेरीताल निवासी 50 वर्ष की महिला, टेमर भीटा निवासी 27 वर्ष का युवक, बम्होरी बेलखेड़ा निवासी 40 वर्ष की महिला, पांडे डेयरी के पास ड्यूप्लेस नम्बर चार न्यू शास्त्री नगर निवासी 34 वर्ष की महिला, गोरखपुर निवासी 49 वर्ष का पुरुष, रेलवे स्टेशन दुर्गा मंदिर के पास ग्वारीघाट निवासी 4 वर्ष का बालक, साऊथ एवेन्यू मॉल के पीछे गली नम्बर पांच पोलीपाथर निवासी 22 वर्ष का युवक, धनी की कुटिया आधारताल निवासी 36 वर्ष की महिला, पटेरिया भवन के पास बड़ी खेरमाई भानतलैया निवासी 23 वर्ष की युवती, पुष्पपुंज कॉलोनी गोरखपुर निवासी 72 वर्ष का वृद्ध, ड्यूप्लेक्स नम्बर तीन आरती दास कम्पाउंड साउथ सिविल लाइन निवासी 20 वर्ष का युवक, व्हीकल स्टेट निवासी 62 वर्ष का पुरुष, सेंट जोसफ कान्वेंट स्कूल निवासी 35 वर्ष की महिला, एपीआर कॉलोनी बिलहरी निवासी 64 साल का पुरुष, फूटाताल बादल मोहल्ला निवासी 18 वर्ष का युवक तथा नर्मदा मन्दिर रोड अमखेरा निवासी 35 वर्ष की महिला शामिल है ।

वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना का शुभारंभ

संभाग क्रमांक 2 कछपुरा के द्वारा की गई अभियान की शुरुआत

जबलपुर, देशबन्धु। नगर निगम द्वारा शासन के निर्देशों के तहत् 1 जुलाई से ''वन नेशन-वन राशन कार्ड'' योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत नगर निगम के सभी संभागीय अधिकारियों के द्वारा शासन द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करते हुए कार्यवाही की जाना है। इसके लिए निगमायुक्त अनूप कुमार सिंह ने सभी संभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं। योजना की शुरूआत संभाग क्रमांक 2 कछपुरा से आज की गयी। अभियान के संबंध में संभाग क्रमांक 2 के संभागीय अधिकारी दिनेश प्रताप सिंह ने बताया है कि ''वन नेशन-वन राशन कार्ड'' योजना के तहत् अपात्र, मृत, डुप्लीकेट, एवं बाहर जा चुके हितग्राहियों के नाम राशन कार्ड से विलोपित करने की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी गोरखपुर के निगरानी में की जा रही है। उन्होंने बताया कि यह अभियान 7 अगस्त तक चलाया जायेगा। अभियान एवं कार्यवाही के संबंध में जिन हितग्राहियों को कोई आपत्ति दर्ज कराना हो तो हितग्राही अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एम.पी.व्ही. ऑफिस के पास तरंग आफिस के नीचे तहसील कार्यालय में कर सकते हैं।